

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 36/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ),- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा :-

- (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।  
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है),-  
(क) नियम 2 में, उपवाक्य (ढकक) में उपवाक्य (i) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

“(i) उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों की वस्तुओं, या आभूषणों की वस्तुओं के भाग या दोनों, के संबंध में ऐसे व्यक्ति भी आता है जो कि आर्टिकल्स आफ ज्वैलरी (कलैक्शन आफ ड्यूटी) रूल्स, 2016 के नियम 9 के उप-नियम 1 के अंतर्गत आने वाली ऐसी वस्तुओं पर लगने वाला उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी है।”

(ik) उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 7114 के अंतर्गत आने वाली कीमती धातुओं की वस्तुओं के संबंध में ऐसा व्यक्ति भी आता है जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12कक के उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी है।

(ख) नियम 4 में, उप-नियम (2) में उपवाक्य (क) में, स्पष्टीकरण में, मद (i) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“ऐसा कोई भी निर्धारती, जो कि उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों की वस्तुओं या आभूषणों की वस्तुओं के भाग या दोनों के विनिर्माण में लगा है तो वह पात्र होगा यदि पिछले वित्तीय वर्ष में घरेलू खपत के लिए सभी उत्पाद

शुल्क वाली वस्तुओं के क्लियरेंस का सकल मूल्य, जिसकी संगणना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके से की गई हो, 15 करोड़ रुपये से अधिक न हो।”

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-1)]

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004, सा.का.नि. 600 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 28/2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 मई, 2016, जिसे सा.का.नि. 555 (अ), दिनांक 26 मई, 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।